Title: Need to fix criteria for identifying the people living below poverty line in the country.

भी आर.के.िंसह पटेल (बांदा): माननीय सभापित महोदय, गरीबी रेखा का मानक निर्धारण एवं गणना के संबंध में सरकार का ध्यान अवितम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2011 को पूछे गए अतारांकित पूष्त संख्या 443 के उत्तर में सरकार के योजना आयोग मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का मानक 965 रूपए प्रति माह प्रति व्यक्ति हैं। इससे अधिक कमाने वाला गरीब परिवार का व्यक्ति अमीरी रेखा में आएगा। पूष्त के उत्तर में यह भी कहा गया कि गरीबी रेखा का निर्धारण एक जटिल और बहुआयामी मुदा हैं तथा विशेषज्ञ अपने-अपने ढंग से इसकी अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं।

उपरोक्त बातों से सिद्ध हो रहा है कि सरकार गरीबी रेखा के निर्धारण में रूचि नहीं ते रही हैं। आज़ादी के बाद अभी तक सरकार गरीबी रेखा का पैमाना निर्धारित नहीं कर सकी हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां जनता के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ही नहीं हो सकता हैं, वहां गरीबी दूर करने हेतु योजनाएं किस आधार पर बनायी जा रही हैं? गरीब भगवान के सहारे जी रहा हैं। सरकार ने स्वयं मेरे पूष्त के जवाब में कहा है कि गरीबी रेखा के निर्धारण की एक जटिल पूक्तिया हैं।

वया गरीबी रखा के निर्धारण की इस जिटल पूक्रिया का कोई हल निकलेगा? वया वर्ष 2012 में नए तरीके से गरीबी रखा के निर्धारण हेतु सरकार कोई योजना बना रही हैं? यदि गरीबी रखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार चिन्हित नहीं कर सकी हैं तो उन परिवारों को सहायता किस आधार पर दी जा रही हैं? वया गरीबी रखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का राज्यवार ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो सरकार किस आधार पर गरीबों को सहायता दे रही हैं?

अतः आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा कराई जाए एवं सरकार उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना वक्तन्य जारी करे_।